भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 668
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है।

कारों में एयरबैग का प्रावधान

668. श्री अनुभव मोहंती:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय चालक/यात्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में विनिर्मित प्रत्येक कार में एयरबैग के प्रावधान को अनिवार्य बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय को कार विनिर्माता संघ के समक्ष उठाया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग): सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना जीएसआर 1483 (ई) दिनांक 07.12.2017 के द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2019 तथा इसके बाद विनिर्मित एम I श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए अनिवार्य फिटमेंट के रूप में ड्राइवर एयरबैग को अधिदेशित किया है।

****